न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः—88,188 आरटीए
प्रकरण संख्याः— 456/2011

1. तरसेमसिह पुत्र दीपसिह
2. जसवंतसिह पुत्र दीपसिह
3. कुलवन्तसिह पुत्र दीपसिह
4. जसवीरसिह पुत्र दीपसिह

} जाति कम्बोजसिख निवासीयान सनसीटी कॉलोनी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

5. जश्नप्रीतकौर पुत्री दीपसिह पत्नी सुरेन्द्रसिह जाति कम्बोजसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. महेन्द्रकौर पत्नी दीपसिह जाति कम्बोजसिख निवासी सनसीटी कॉलोनी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
2. कमलजीतसिह पुत्र गुरचरणसिह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 एसआर डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री बलविन्द्रसिह थिन्द अधिवक्ता वादीगण
श्री हितेन्द्रमोहन सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 2

निर्णय

दिनांक :— 12.01.2021

वादीगणसं0 1 ता 5 के पिता दीपसिह ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बावत घोषणा, शाश्वत व्यादेश के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी दीपसिह काश्तकारी पेशा व्यक्ति है जिसकी कृर्षि भूमि वाकें चक 3 एस.आर डबल्यू के खातासं0 60/74 के प0न0 224/273 किलानं0 19,22 कुल 2 बीघा .506 है0 संयुक्त खाता में पडती है।

वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज भूमि संयुक्त खताा की भूमि सहखातेदार नवजोतकौर एंव नवराजसिह पुत्र एंव पुत्री मनजीतकौर पत्नी लखवीरसिह के नाम से 1/15 हिस्सा अर्थात .034 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादी द्वारा दिनांक 7.10.2011 को नवजोतकौर एंव नवराजसिह के हिस्सा .034 है0 जरिये बैयनामा खरीद कर लिया गया है उक्त दोनो विक्रेता अवयस्क है। विक्रेतागण की माता मनजीतकौर की कुछ अर्सा पूर्व मृत्यू हो चुकी है। अवयस्क विक्रेतागण के पिता लखवीरसिह द्वारा माननीय जिला एंव सैशन न्यायालय हनुमानगढ से उक्त खाता की अवयस्क विक्रेतागण की कृर्षि भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिनांक 08.09.2011 को प्राप्त कर वादी के पक्ष में अवयस्क की ओर से मुझ वादी के पक्ष में बैयनामा निष्पादित करवाया गया है जिस पर कब्जा वादी का है। वादी द्वारा उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी के पक्ष में करने के लिए पटवारी हल्का को कहा गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि नवजोतकौर द्वारा अपने हिस्सा की .017 है0 आराजी कमलजीतसिह को विक्रय कर दी गई है। वादी द्वारा बैयनामा दिनांक 7.10.2011 के द्वारा अव्यस्क विक्रेतागण से भूमि जरिये पिता लखवीरसिह के खरीद की गई थी व वादी बैयनामा दिनांक 7.10.2011 के आधार पर अवयस्क विक्रेतागण के हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। प्रतिवादी सं0 1 मुझ वादी के बैयनामा दिनांक 7.10.2011 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन न कर दिनांक 29.12.2010 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने पर उतारू है। इसलिए वादी दिनांक 7.10.2011 के आधार पर खरीदशुदा भूमि का अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है व शाश्वत व्यादेश खिलाफ प्रतिवादी सं0 2 इस आशय का

जारी करवाना चाहता है कि चक 3 एसआर डबल्यू के खाता सं0 60/74 में अव्यस्क विक्रेतागण क हिस्सा की कृषि भूमि का बेयनामा दिनांक 29.12.2010 के आधार पर क्रेता के पक्ष मे नामान्तकरण करने से निषेद्व रहे।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज खरीदशुदा आराजी के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गया। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद की मदो को अस्वीकार करते हुए अपना जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि नवज्योतकौर ने अपना हिस्सा दिनांक 29.12.2010 को मुझ प्रतिवादी सं0 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बैय कर दिया था व विक्रयशुदा भूमि का कब्जा मुझे सम्भलवा दिया था जिस पर मुझ प्रतिवादीसं0 2 का कब्जा चला आ रहा है नवजयोतकौर अपने हिस्से की भूमि को मुझ प्रतिवादी को विक्रय कर चुकी है तो उसके बाद दुबारा उसी भूमि का विक्रयपत्र कानूनन नही हो सकता। एक ही भूमि का बैयनामा को दो बार दो व्यक्तियो के पक्ष में नही किया जा सकता। वादी को मुझ प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित बेयनामा का वाद पेश करते समय पता चलने के बाद से लीकर आज तक मुझ प्रतिवादी के पक्ष में किये गये बैयनामा को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। नवज्योत कौर बेयनामा के राजे नाबालिग नही होकर उसकी उम्र 20 साल थी तथा वह बालिग थी। बैयनामा के वक्त उक्त बैयनामा में दर्ज भूमि का कब्जा मुझ प्रतिवादी सं0 2 को नवज्योतकौर ने सम्भला दिया था। काउन्टरक्लेम में प्रतिवादी द्वारा अंकित किया गया कि प्रतिवादी ने बालिग नवजयोतकौर से दिनांक 29.12.2010 को चक 3 एसआरा डबल्यू के ख़ाता सं0 74 में अंकित कुल 0.506 है0 में से नवजोतकौर के हिस्सा की 1/5 हिस्सा की भूमि मे से नवजोतकौर का 0.017 हिस्सा नाली प्रथम का खरीद किया है। बैयनामा के रोज नवजोतकौर बालिग थी व उसकी आयु 20 वर्ष थी वा विवाहित थी। काउन्टर क्लेम की दफा ख में अंकित भूमि का कब्जा मुझ प्रतिवादी को बैयनामा के वक्त नवजोतकौर द्वारा सम्भला दिया गया था व इस बाबत एक शपथ पत्र भी नवजोतकौर ने मुझ प्रतिवादी को सौंपा था। खरीद के वक्त से ही प्रतिवादी अपनी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन खरीदशुदा भूमि प्रतिवादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए प्रतिवादी काउन्टरक्लेम की दफा ख में अंकित भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है।इसलिए वादी का वाद खारीज किया जाकर मुझ प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाया जावे। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम शामिल मिसल किया गया।

दौराने वाद वादी दीपसिह का स्वर्गवास हो गया जिस पर दीपसिह के वारीसान को रिकार्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया गया व संशोधित शीर्षक वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया कि नवजोतकौर द्वारा मुझ प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 29.12.2010 को बैयनामा निष्पादित किया गया है जो दावा में अंकित भूमि वादग्रस्त है तथा मुझप्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित बैयनामा प्रथम बैयनामा है तथा दीपसिह के पक्ष में निष्पादित बेयनामा द्वितीय बैयनामा है। विधिक प्रावधान अनुसार किसी सम्पति का बेयनामा प्रथम प्रभावी रहेगा। इसलिए वादी का वाद खारीज फरमाया जावे जिसके बाद वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 29.12.2010 को बैयनामा करवाने के रोज नवजोतकौर नाबालिग थी तथा नवजोत कौर को नाबालिग अवस्था में बैयनामा करवाने का अधिकार नही था। नाबालिग के पिता लखवीरसिह द्वारा माननीय जिला न्यायालय हनुमानगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 08.09.2011 को आदेश

पारित करते हुए विक्रय की स्वीकृति प्रदान की गई थी उपरोक्त आदेशानुसार .034 हे0 भूमि का बेयनामा दिनांक 07.10.2011 को वादीगण के पिता दीपसिह के पक्ष में निष्पादित हुआ था। इसलिए प्रतिवादीसं0 2 के पक्ष में निष्पादित बैयनामा का कोई प्रभाव नही है, प्रतिवादीसं0 2 के पक्ष में निष्पादित बेयनामा शून्य है। इसलिए प्रतिवादीसं0 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारीज फरमाया जावे। वादी सं0 6 की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिस पर वादी सं0 6 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया सं0 6 को बतौर पक्षकार वाद में वादीगण के रुप में संयाजित किया गया तथा संशोधित शीर्षक वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

दौराने वाद वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 का आपस में राजीनामा हो गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र कीदफा 3 में वर्णित आराजी में से नवजोत कौर ने अपने हक व हिस्सा की .017 है0 भूमि का बेयनामा नाबालिग अवस्था में द्वितीयपक्ष प्रतिवादीसं0 2 के पक्ष में दिनांक 29.12.2010 को करवा दिया था जिस बाबत हमारा आपस में विवाद चला आ रहा था आज हमारा आपस मे राजीनामा हो गया है व राजीनामा में प0न0 22473 के किलानं0 19,22, कुल 0.506 है0 कृर्षि भूमि मे से नवजोत कौर एंव नवराजसिह पि0 मनजीतकौर पत्नी लखवीरसिह के हक व हिस्सा की 1/15 हिस्सा अर्थात 0.034 हे0 भूमि प्रथम पक्ष को प्राप्त हुई है जो प्रथम पक्ष के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाती है तो मुझ प्रतिवादी को कोई उज्र व एतराज नही है। राजीनामा पेश होने पर तस्दीक किया गया व पक्षकारान के आई.डी. की फोटो प्रतिया पेश की गई जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई।वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण आपस राजीनामा हो गया है। वाद में राजीनामा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज भूमि में से वादीगण द्वारा भूमि जरिये बैयनामा खरीद की हुई होना प्रतिवादी सं0 2 ने स्वीकार की है व खरीदशुदा भूमि का कब्जा वादीगण के पास चला आ रहा है। वादीगण का वाद पूर्णतया साबित है। मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दीयॉ, राजीनामा, बैयनामा दिनांक 29.12.2010 व 07.10.2011, निर्णय न्यायालय जिला न्यायाधीश हनुमानगढ दिनांक 08.09. 2011, शपथ पत्र स्टाम्प नवराजसिह वगैरह दिनांक 06.02.2019, वादी का साक्ष्य का शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी नवराजसिह व नवजोत कौर के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादीगण द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयॉ प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर वादीगण की भूमि खरीदशुदा होने व प्रतिवादीसं0 2 द्वारा राजीनामा में कब्जा वादग्रसत आराजी पर वादीगण का होने के कथन होने से वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा साबित होता है। प्रतिवादीसं0 2 द्वारा राजीनामा के अनुसार भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे होने का निवेदन किया किया है व कोई विरोध नही किया है व मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीगण साबित करने में सफल रहे है। वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 3 एस.आर.डबल्यू. के खाता सं0 60/74 प0न0 224/273 किलानं0 19,22 कुल 2 बीघा .506 है0 में अंकित नवजोतकौर व नवराजसिह के .034 है0 कृर्षि भूमि के वादीगण सं0 1 ता 6 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी

कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 3 एसआर डबल्यू के खाता सं0 60/74 मे से नवजोतकौर व नवराजसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर वैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:–456 / 2011

1.तरसेमसिह पुत्र दीपसिह
2.जसवंतसिह पुत्र दीपसिह
3.कुलवन्तसिह पुत्र दीपसिह
4.जसवीरसिह पुत्र दीपसिह
} जाति कम्बोजसिख निवासीयान सनसीटी कॉलोनी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

5.जश्नप्रीतकौर पुत्री दीपसिह पत्नी सुरेन्द्रसिह जाति कम्बोजसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

6.महेन्द्रकौर पत्नी दीपसिह जाति कम्बोजसिख निवासी सनसीटी कॉलोनी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1.तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

2.कमलजीतसिह पुत्र गुरचरणसिह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 एसआर डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बलविन्द्रसिह थिन्द वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 3 एस.आर.डबल्यू. के खाता सं0 60/74 प0न0 224/273 किलानं0 19,22 कुल 2 बीघा .506 है0 में अंकित नवजोतकौर व नवराजसिह के .034 है0 यानि 1/15 हिस्सा कृर्षि भूमि के वादीगण सं0 1 ता 6 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 3 एसआर डबल्यू के खाता सं0 60/74 मे से नवजोतकौर व नवराजसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा मुकदमें ....x....निल....x....बाबत्..........x....निल....x....मुब्लिक....x....निल....x....निज ....x.......... अदा के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.01.2021 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी (मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राज.) टिब्बी